The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

VC- 26 Feb.2010

86वाँ संविधान संशोधन 2002

जीवन का अधिकार के तहत मूलभूत अधिकार में जोडा गया

21 क. शिक्षा का अधिकार – राज्य, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।

Right to education.-

Article "21A. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine.".

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

- The Right of children to Free and Compulsory Education Act, 2009 **27 अगस्त 2009 को राजपत्र में प्रकाषित ।**
- **16 फरवरी 2010 को जारी अधिसूचना के आधार पर अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील**
- **निःषुल्क से तात्पर्य – किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस /षुल्क/ व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक षिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो।**
- **अनिवार्य से तात्पर्य – 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, शतप्रतिशत उपस्थिति तथा शतप्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने की संवैधानिक अनिवार्यता राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।**

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

- ड्रापआउट एवं अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन
  - अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण
  - प्रवेशित बच्चों के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार
- प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोके रखने अर्थात कक्षा 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध
- बच्चों को शारीरिक दण्ड देने एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना प्रतिबंधित
- समस्त बच्चों के लिए उनके निर्धारित पडोस (Neighbourhood) में शिक्षा की सुविधा 3 वर्ष में उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की बाध्यता

शिक्षक

- नियुक्ति हेतु शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा
- निर्धारित योग्यता अनुरूप षिक्षकों की व्यवस्था 5 वर्ष में सुनिष्चित करना
- अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण
- शिक्षक का अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित
- शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित
- शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित – दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोडकर
- शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण

शाला

- निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावक एवं शिक्षक की शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को बढावा
  - 3/4 सदस्य– अभिभावक, 50 प्रतिशत महिलाएं
  - कमजोर एवं वंचित वर्ग को अनुपातिक प्रतिनिधित्व
  - शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मॉनिटरिंग – स्थानीय निकाय के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति द्वारा

शाला

- केपिटेशन फीस प्रतिबंधित
    - दण्ड– केपिटेशन फीस का 10 गुना
- प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित– चयन रेंडम आधार पर
    - दण्ड– एक बार– रू.25000, अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रू. 50000
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं
    - बिना नार्म्स एवं मापदण्ड के कोई भी मान्यता नहीं
    - बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद संचालन पर रू. 1 लाख का दण्ड, तदुपरांत प्रतिदिवस रू. 10000
    - मापदण्ड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की समयसीमा
    - शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति हेतु 6 माह, किसी भी शाला में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियॉ नहीं

शाला

- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पडोस के 25 प्रतिशत बच्चों को नि:षुल्क शिक्षा प्रदाय
  - राज्य द्वारा किया जा रहा प्रति छात्र व्यय अथवा वास्तविक फीस जो भी कम हो के आधार पर फीस की प्रतिपूर्ति

मापदण्ड– शिक्षक छात्र अनुपात

प्राथमिक स्तर पर – छात्र शिक्षक अनुपात – समयसीमा 6 माह

- 60 बच्चों तक – 2 शिक्षक
- 61 से 90 बच्चों पर – 3 शिक्षक
- 91 से 120 बच्चों तक – 4 शिक्षक
- 121 से 200 बच्चों तक – 5 शिक्षक
- 150 से अधिक होने पर – 5 शिक्षक + 1 प्रधानअध्यापक
- 200 से अधिक होने पर – 1:40 का अनुपात (प्रधानअध्यापक छोडकर)

मापदण्ड– शिक्षक छात्र अनुपात

माध्यमिक स्तर पर – छात्र शिक्षक अनुपात – समयसीमा 6 माह

- कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा एवं 1 शिक्षक – विज्ञान एवं गणित, एक – सामाजिक विज्ञान, एक– भाषा
- 35 बच्चों पर – कम से कम 1 शिक्षक
- 100 बच्चों से अधिक होने पर –
- पूर्ण कालिक प्रधानअध्यापक
- अंशकालिक शिक्षक – कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा (work education)

अधोसंरचना – मापदण्ड

समस्त शालाओं शासकीय/निजी में न्यूनतम अधोसंरचना की उपलब्धता 3 वर्ष की समयसीमा में करना अनिवार्य है–

- सभी मौसमों के लिए उपयुक्त भवन
- प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा कक्ष एवं ऑफिस सह स्टोर सह प्रधानअध्यापक कक्ष
- बाधामुक्त शिक्षा
- बालक एवं बालिका के लिए पृथक शौचालय
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल– समस्त बच्चों के लिए
- किचन शेड
- खेल का मैदान
- बाउंड्री वाल / फेंसिंग
- लाईब्रेरी तथा आवष्यक पठन–पाठन सामग्री व उपकरण

मापदण्ड

न्यूनतम कार्य दिवस/ शिक्षण के घंटे

- 200 दिवस – प्राथमिक स्तर
- 220 दिवस – माध्यमिक स्तर
- 800 शैक्षणिक घंटे – प्राथमिक स्तर
- 1000 शैक्षणिक घंटे – माध्यमिक स्तर
- शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे – 45 घंटे (पठन पाठन+ तैयारी के घंटे)

अन्य

- पठनपाठन सामग्री एवं उपकरण – कक्षा के अनुरूप
- प्रत्येक शाला मे एक पुस्तकालय – समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानियो की किताबें
- खेलकूद सामग्री, खेलकूद हेतु उपकरण

शिक्षक के अकादमिक उत्तरदायित्व

- विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन
- समयसीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।
- विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा कराना।
- प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, और उसके अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पठनपाठन कराना
- माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक कीं उपस्थिति में नियमितता शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता उसकी प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।
- ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो चिन्हित किए जाए

पाठ्यक्रम

- पाठ्यक्रम का निर्धारण अकादमिक प्राधिकरण द्वारा जिसमें
- संवैधानिक मूल्य
- बच्चों को निर्भय बनाने
- बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित प्रक्रिया
- यथासंभव मातृ भाषा में शिक्षा
- सतत् एवं सघन मूल्यांकन की व्यवस्था
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ।

स्थानीय निकाय के दायित्व

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना)
- 3 वर्ष में हर बच्चे के पड़ोस में स्कूल की व्यवस्था करना
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान
- मापदण्ड के अनुरूप शालाओं में अधोसंरचना, शाला भवन, शिक्षा व्यवस्था पठन–पाठन सामग्री उपकरण
- अनामांकित एवं शाला से बाहर बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बच्चों के प्रवेश उपस्थिति एवं उपलब्धि स्तर की मॉनिटरिंग

स्थानीय निकाय के दायित्व

- चौदह वर्ष तक की आयु के बालको का अभिलेख ऐसी रीति में संधारित करना जो निर्धारित की जाए
- अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना
- समय पर पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण देना इत्यादि।
- प्रवासी कुटुम्बों (पलायन करने वाले)के बालको के प्रवेश को सुनिश्चित करना।
- अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों को मानीटर करना
- शैक्षणिक कैलेण्डर का विनिश्चय करना

राज्य स्तर से की गई कार्रवाई

- राज्य के शिक्षा संबंधी विद्यमान कानून, अधिनियमों की समीक्षा एवं उसमें नवीन अधिनियम के तहत संशोधन की कार्रवाई जारी
- अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रारूप नियम तैयार–जिसमें मुख्यत:
  - सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवष्यक प्रावधान एवं व्यवस्थाएं करना,
  - पडोस को परिभाषित करना
  - बच्चों के अभिलेखों के संधारण हेतु स्वरूप एवं प्रक्रिया का निर्धारण
  - अशासकीय स्कूलों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी तथा प्रक्रिया तय करना

राज्य स्तर से की गई कार्रवाई

- शिक्षकों के वेतन भत्ते तथा सेवाशर्तों का निर्धारण
- State Commission for Protection of Child Rights का गठित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायतों की जॉच करना, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना
- अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सलाह देने हेतु राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना – जिसमें अधिकतम 15 सदस्य हों
- प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति करने हेतु नियम संशोधन की कार्रवाई जारी

राज्य स्तर से की गई कार्रवाई

- कक्षा 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं लेना – कक्षा 8 तक किसी भी स्तर पर बच्चों को शाला से बाहर नहीं करना
- अशासकीय शालाओं में 25 प्रतिशत बच्चों के लिए फीस की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया तय करना, प्रावधान करना
- शाला विकास योजना बनाने की प्रक्रिया तय करना, इसके लिए शालाओं को प्रशिक्षित करना, इसके आधार पर शालाओं को प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया तय करना

राज्य स्तर से की गई कार्रवाई

- मापदण्डों के अनुरूप gaps की पहचान एवं उनकी पूर्ति हेतु योजना बनाने की कार्रवाई
- शाला से बाहर बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु
- पाठ्यक्रम पुनरीक्षण करना
- शहरी क्षेत्र में स्थान का चिन्हांकन करना
- अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रशासकीय अमले में वृद्धि करना
- प्रशासकीय अमले की क्षमताओं के सुदृढीकरण की व्यवस्था करना

जिला स्तर से विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दु

अधिनियम का व्यापक प्रचार प्रसार

- समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्रदान करना
- जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों, गैर शासकीय संस्थाओं के साथ कार्यशाला का आयोजन
- जिला एवं विकासखंड के समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर उन्मुखीकरण
- जनशिक्षकों का उन्मुखीकरण
- जिला स्तर पर शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यालयों में कंट्रोल रूम की स्थापना
- प्रारंभिक स्तर की गैर अनुदान प्राप्त/अनुदान प्राप्त शालाओं के प्रबंधकों की बैठक का आयोजन कर उन्मुखीकरण एवं तैयारी कराना
- जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर शिक्षकों का उन्मुखीकरण कराना

आवश्यक कार्रवाई

– घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से समुचित ग्राम शिक्षा रजिस्टर तैयार कराना

– ब्रिजिंग के दौरान सभी शाला से बाहर बच्चों का नामांकन कराना

– एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का सत्यापन

- – शालावार नामांकन की पुष्टि एक टीम बनाकर कराना
- – शिक्षक
- – उपलब्ध अधोसंरचना
- की व्यवस्था, अधोसंरचना के गेप का समुचित आंकलन हो सके।

आवश्यक कार्रवाई

अधिनियम के निहित मापदण्डों के अनुरूप प्रत्येक शाला में वर्तमान स्थिति का आंकलन करना।

स्कूल रिपोर्ट कार्ड शाला प्रमुख, जनशिक्षक एवं SMC से साइन कराना

- सभी ई–सर्विस बुक पूर्ण कराना
- विशेष रूप से शिक्षक छात्र अनुपात एवं अधोसंरचना से संबंधित मापदण्ड की आवश्यकताओं की पुष्टि कराना।
- समस्त अटैचमेंट समाप्त करना। गैर शिक्षकीय कार्य में लगे, अन्यत्र संबद्ध समस्त शिक्षकों को 1 अप्रैल के पूर्व उनके कार्यस्थल पर ज्वाइन कराना तथा समस्त अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देना कि भविष्य में किसी भी शिक्षक को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाए।

आवश्यक कार्रवाई

5. शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु जानकारियॉ तैयार करना।
6. ऐसी बसाहटों की पहचान (मेपिंग) करा लें, जहॉ एक किलोमीटर में कोई प्राथमिक शिक्षा की सुविधा एवं तीन किलोमीटर में कोई माध्यमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध न हो।
7. नियम प्रकाशन उपरांत प्रत्येक प्राइवेट प्राथमिक एवं मिडिल शाला के लिए नेबरहुड एरिया का आंकलन करना। ऐसी शालाओं की सूची डाइस में उपलब्ध है।
8. 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना।

आवश्यक कार्रवाई

9. 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जो अभी तक शाला में दर्ज नहीं है, की पहचान करना ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
10. शाला त्यागी एवं अनामांकित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना – सर्वप्रथम ऐसे बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दर्ज कराकर उनके लिए आवासीय एंव गैर आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
11. स्थानीय निकायों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके दायित्वों से अवगत कराना एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में इसे अनिवार्यतः शामिल करना।
12. ऐसी शालाओ में जहॉ बच्चों के पठन–पाठन का स्तर ठीक नहीं है उनका प्रशिक्षण कराना

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

- जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं करे।
- शाला में समस्त बच्चों को दर्ज कर उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ट्रेकिंग एवं मॉनिटरिंग करें।
- प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी शिक्षक द्वारा बच्चों को शारीरिक दण्ड अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा। अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

- शिक्षकों को अधिनियम में निर्धारित अकादमिक उत्तरदायित्वों का पालन करना होगा।
- किसी भी शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं की जायेगी।
- किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल (रोका) नहीं किया जायेगा।

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

- इसके अतिरिक्त समस्त प्राइवेट शालाओं को कार्यशाला कर एवं लिखित तौर पर निम्नानुसार सूचित कराएं –
  - उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत वंचित वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 25 प्रतिशत बच्चों को कक्षा 01 में अथवा प्री स्कूल होने पर प्री स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य होगा।
  - शाला से इसका विवरण भी प्राप्त करें कि क्या उन्हें शासन से अब तक भूमि, भवन अथवा उपकरण की सुविधा निःशुल्क प्राप्त हुई है अथवा रियायती दरों पर प्राप्त हुई है।

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

- किसी भी शाला द्वारा केपीटेशन फीस लेने पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी। बच्चों के प्रवेश के लिए बच्चों अथवा उनके पालक का स्क्रीनिंग नहीं किया जायेगा अन्यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
- बिना मान्यता के कोई भी नवीन स्कूल प्रारंभ नहीं होगा।
- वर्तमान में स्थापित प्राईवेट शालाओं को तीन वर्ष में मापदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

समस्त शालाओं को निम्नानुसार सूचित करना

- अनुदान प्राप्त शालाओं को सूचित करना कि उनके द्वारा उतने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगी, जितने प्रतिशत अनुदान राशि उन्हें शासन से प्राप्त होती है।
- नियम प्रकाशन उपरांत अनु.जाति, जनजाति एवं अन्य कमजोर एवं वंचित वर्गों के बाहुल्य क्षेत्रों में निजी शालाओं में भी निजी प्रवेश की सुविधा बाबद प्रचार प्रसार करना।

धन्यवाद